

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Sikkim.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2161(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए IV अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-XVIII अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, शहर सिविल न्यायालय, हैदराबाद के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Andhra Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2162(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, पुडुचेरी को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Puducherry.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2163(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए बम-विस्फोट न्यायालय, चेन्नै को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Bomb Blast Court, Chennai as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2164(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय श्री यू. सी. ध्यानी, जिला

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Sessions Court, Bilaspur, presided over by Hon'ble by Smt. Anita Jha, District and Sessions Judge, Bilaspur as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Chattisgarh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2158(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Additional District and Sessions Judge-I, Patna as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Bihar.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2159(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त

उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2159(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Shimla as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Himachal Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2160(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय डॉ. सोनम वांग्डी लेप्चा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष डिवीजन-1), गंगटोक को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण सिक्किम राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Session Court (Special Division-I) at Gangtok, presided over by Hon'ble by Dr. Sonam Wangdi Lepcha, District and Sessions Judge, as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Rohit Ranjan Prasad, Advocate and Shri Sushil Ranjan Das, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Jharkhand.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1547(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, ओडिशा राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री देबा प्रसाद दास, अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार मुन्डे, अधिवक्ता, श्री संजीत मोहंती, अधिवक्ता तथा शक्ति प्रसाद पांडा, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1547(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Deba Prasad Das, Advocate, Shri Santosh Kumar Mund, Advocate, Shri Sanjit Mohanty, Advocate and Shri Shakti Prasad Panda, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Odisha.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1548(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, सिक्किम राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए सुश्री गीता गजमेरे, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

S.O. 1548(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Ms. Geeta Gazmere, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Sikkim.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

का.आ. 1549(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, उत्तर प्रदेश राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री राकेश पाण्डेय, अधिवक्ता, श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता, श्री इन्द्रभूषण सिंह, अधिवक्ता, श्री अनुराग खन्ना, अधिवक्ता तथा श्री ललित कुमार सिंह, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव